न्यायालय–यशोदा नाग, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

दां0प्र0क्र0–2122/2022
अपराध कमांक–791/2022
संस्थित दि0–05.12.2022

छ0ग0 राज्य द्वारा,
थाना–डोंगरगढ़
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) ––– **अभियोजन**

// **विरूद्ध** //

वेदनारायण सिन्हा पिता–झुमुकलाल सिन्हा, उम्र–40 वर्ष,
निवासी ग्राम रांका, थाना डोंगरगढ़,
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) ––– **अभियुक्त**

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 23/02/2023 को घोषित)

---

01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 30.10.2022 को समय लगभग 16.45 बजे स्थान ग्राम राका पप्पू निषाद के अण्डा ठेला बाजार चौक, थाना डोंगरगढ़ जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) क्षेत्रांतर्गत में अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के एक सफेद रंग के थैला में 04 बोतल जम्मू स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब, प्रत्येक बोतल में 750 एम0एल0 कुल 3.000 बल्क लीटर को अवैध रूप से विक्रय के प्रयोजन हेतु रखा।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घ

ाटना दिनांक 30.10.2022 को थाना डोंगरगढ़ के देहात भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम राका में वेदनारायण सिन्हा नामक व्यक्ति बाजार चौक पप्पू निषाद के अण्डा ठेला के सामने अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु शराब रखकर ग्राहक का तलाश का इंतजार कर रहा है, एक सफेद रंग के थैला में 04 बोतल जम्मू स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब, प्रत्येक बोतल में 750 एम0एल0 कुल 3.000 बल्क लीटर गवाहों के समक्ष जप्त किया था। अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराध सबूत पाए जाने पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत् विरचित अपराध विवरण पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध किये जाने से इंकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

05. प्रकरण में निराकरण के लिये मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि :—

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.10.2022 को समय लगभग 16.45 बजे स्थान ग्राम राका पप्पू निषाद के

अण्डा ठेला बाजार चौक, थाना डोंगरगढ़ जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) क्षेत्रांतर्गत में अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के एक सफेद रंग के थैला में 04 बोतल जम्मू स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब, प्रत्येक बोतल में 750 एम0एल0 कुल 3.000 बल्क लीटर को अवैध रूप से विक्रय के प्रयोजन हेतु रखा ?''

–: विवेचन एवं निष्कर्ष :–

विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष :–

06. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षी आबकारी उपनिरीक्षक सी0पी0 सिंह (अ0सा0 1), संतलाल सिन्हा (अ0सा0 2), रामसिंह ठाकुर (अ0सा0 3) एवं प्रधान आरक्षक अजीत टोप्पो (अ0सा0 4) का परीक्षण कराया गया है।

07. सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि क्या प्रश्नगत द्रव्य जम्मू स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब अभियुक्त के आधिपत्य या स्वामित्व से जप्त किया गया ? इस संबंध में प्रधान आरक्षक अजीत टोप्पो (अ.सा.–04) जो कि प्रकरण के विवेचक है, ने अपने साक्ष्य में उसके द्वारा घटना के संबंध में की गई संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही को बताया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से किसी व्यक्ति को शराब क्रय करते हुए नहीं देखा है। यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल के करीब रहने वाले लोगों को साक्ष्य

सूची में शामिल नहीं बनाया है। यह भी स्वीकार किया है कि अंतिम प्रतिवेदन की कंडिका 11 की उपकंडिका 03 में थाने के जप्ती माल रजिस्टर का उल्लेख नहीं है।

08. क्या जप्तशुदा द्रव्य जम्मू स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब है ? इस संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक सी0पी0 सिंह (अ0सा0 1) का कथन है कि उसने मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.–01 को प्रमाणित करते हुए बताया है कि उसने दिनांक 01.11.2022 को थाना–डोंगरगढ़ के अपराध क्रमांक 791/2022 में जप्तशुदा द्रव्य का परीक्षण करने पर उसे विदेशी मदिरा व्हिस्की होना पाया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे मुलाहिजा हेतु शराब 01.11. 22 को प्राप्त हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न तहरीर पावती वाली तहरीर नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि उसे परीक्षण हेतु तरल पदार्थ सीलबंद प्राप्त हुआ था, इस संबंध में कोई पंचनामा नहीं बनाया है। यह भी स्वीकार किया है कि जो तरल पदार्थ परीक्षण हेतु उसके समक्ष भेजा गया था उस पर लगे सील में किसी का हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा परीक्षण हेतु प्रस्तुत तरल पदार्थ को रासायनिक परीक्षण कराये जाने का सलाह नहीं दिया गया था। यह भी स्वीकार किया है कि जॉच हेतु प्रयोग में लाये गये लिटमस पेपर प्रतिवेदन में संलग्न नहीं किया

है।

09. प्रकरण में अभियोजन द्वारा विवेचना अधिकारी का कथन नहीं कराया गया है। प्रकरण में जप्ती एवं गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी संतलाल सिन्हा (अ0सा0 2) एवं रामसिंह ठाकुर (अ0सा0 3) का अभिसाक्ष्य है कि उनके समक्ष पुलिस वाले अभियुक्त से कोई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं किये थे। परंतु गवाह बनने नोटिस प्र0पी0 2, मुखबीर सूचना पंचनामा प्र0पी0 3, बरामदगी पंचनाम प्र0पी0 4, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 5, सैम्पल पंचनामा प्र0पी0 6, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 7, घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0 8 पर उनके हस्ताक्षर है। जप्ती के स्वतंत्र साक्षी संतलाल सिन्हा (अ0सा0 2) एवं रामसिंह ठाकुर (अ0सा0 3) द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। जप्ती साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने तथा विवेचना अधिकारी के साक्ष्य एवं अभियुक्त के कब्जे से प्रश्नगत शराब की जप्ती प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियोजन का यह प्रकरण संदेह की परिधि में आ जाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिये जिसमें अभियोजन असफल रहा है। फलतः **वेदनारायण सिन्हा** को **धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम** के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्त का जमानत मुचलका भारमुक्त किया जाता हैं।

11. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित

सही/–

(यशोदा नाग)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़

जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–

(यशोदा नाग)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़

जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

YASHODA NAG
Digitally signed by YASHODA NAG